

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/संवि./2010/20/203

भोपाल, दिनांक 23/4/10

:: आदेश ::


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयभान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती अर्चना नन्दनगर अध्यापक शा.उ.मा.विद्यालय कुण्डालीकला, परासिया जिला-छिन्दवाड़ा	AG4955	23430312 402	जिला पंचायत परासिया जिला छिन्दवाड़ा जा.क्र. 112 दि. 10.2.10	नगर पालिक निगम जबलपुर जा.क्र. 5 दि. 5.4.10 शा.हाईस्कूल कजरवारा	233801033 01
2	श्रीमती शशि सिकरवार वरि.अ. (जीव विज्ञान) शा.क.उ.मा.वि.विजयपुर जिला-शयोपुर	BA8333	230108777 02	नगर पंचायत विजयपुर जिला शयोपुर जा.क्र.क्यू/10दि.22.3.10	नगर पालिका परिषद जिला-मुरैना जा.क्र. 593 दि. 11.3.10 शा.बा.उ.मा.वि.क.-2 मुरैना	230203777 08
3	श्रीमती प्रवीणा द्विवेदी अध्यापक शा. पूर्व गा.वि.आमिन जिला-सतना	AV8840	231391140 05	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 23 दि. 13.4.10	जिला पंचायत रीवा जिला-रीवा जा.क्र. 3554 दि. 7.4.10 शा.पूर्व माध्य.विद्या. सिरिया	231404141 03
4	श्रीमती विनीता शाक्य सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.टौरी जागरौद जिला विदिशा	BF5908	233106230 01	जनपद पंचायत सिंरौज जिला-विदिशा जा.क.1243 दि.15.7.09	जनपद पंचायत फन्दा जिला-भोपाल जा.क.2699 दि.29.8.09 शा.प्रा.शा.ईमलिया	233201255 01
5	कु.लक्ष्मी मरावी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.जगासपुरा जिला-सागर	AY5998	231111063 01	जनपद पंचायत रहली जिला-सागर जा.क. क्यू दि.28.5.09	जनपद पंचायत बड़वारा जिला-कटनी जा.क 411 दि. 16.6.09 शा.मा.शाला बड़ेरा	233803045 01
6	श्रीमती शर्मिष्ठा श्रीवास्तव वरि.अ. (हिन्दी) शा.शारदा उत्कृष्ट उ. मा.वि.शुजालपुर जिला-शाजापुर	BA4353	232207777 01	नगर पालिका परिषद शुजालपुर जिला शाजापुर जा.क.क्यू दि 9.4.10	नगर पालिक निगम भोपाल जा. 29 दि.निरंक शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सुभाष (नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति की पुष्टि उपरान्त ही मान्य)	233203777 08
7	श्रीमती वैशाली श्रवणे सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि.तुकईथड जिला-बुरहानपुर	AF369C	234895131 03	जनपद पंचायत खकनार जिला बुरहानपुर जा.क 5872दि 25.3.10	जनपद पंचायत सांवर जिला इन्दौर जा.क 47दिनांक 8.4.10 शा.उन्नत मा.वि.ढाबली	232604102 01

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की रिथिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


23/4/10
उप संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 23/4/10

पृ./क्र०/शि.क./ए/सवि./2010/20/204
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।



6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


23/4/10
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश